

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08.10.2026	आदेश निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 6154 दिनांक 03.09.2025 के विरुद्ध अपीलार्थी सुश्री पायल कुमारी (Emp. ID No.-ASO00094), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम-8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है। निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी। उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :- बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 1304 दिनांक 01.12.2023 द्वारा वादी के विरुद्ध कार्यों में अनियमितता बरतने, विधि एवं नियमों के विपरीत कार्य करने, वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने, निर्धारित समय सीमा में कार्य करने में विफल रहने एवं अनाधिकृत अनुपस्थित रहने का आदि होने के साथ कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 518 दिनांक 29.01.2024 द्वारा वादी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके प्रतिउत्तर में इनके द्वारा पूरी लगन से नियम/विधि के तहत निर्धारित समय सीमा में सर्वेक्षण कार्यों को करने एवं प्रथम गलती समझ कर माफ करने के साथ स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 1308 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से स्पष्ट मंतव्य सहित अनुशंसा की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 619 दिनांक 20.06.2025 द्वारा वादी के विरुद्ध पुनः कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए संविदा साप्ति की अनुशंसा की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए आरोप एवं अनुशंसा के आलोक में निदेशालय आदेश संख्या 6154 दिनांक 03.09.2025 द्वारा वादी का संविदा समाप्त किया गया है। उपरोक्त वर्णित आरोपों के संबंध में वादी से पृच्छा की गयी। वादी का कथन है कि इनके द्वारा सीतामढ़ी जिला के बथनाहा अंचल का सभी कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इनका स्थानान्तरण बंदोबस्त कार्यालय, मोतिहारी किया गया, जिसके आलोक में बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 02.08.2025 को विरमित करने के पश्चात् इनके द्वारा मोतिहारी में योगदान किया गया। इसी क्रम में निदेशालय द्वारा इनका संविदा समाप्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध appeal@bbs@gmail.co एवं director@bbs@gmail.com पर अपील आवेदन दिया गया था, जिसके स्वीकृति के उपरांत बंदोबस्त कार्यालय, मोतिहारी में योगदान कर दिनांक 17.07.2026 तक कार्य कर रही थी, परन्तु निदेशालय द्वारा मेरा अपील अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसके आलोक में मेरे द्वारा पुनः अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।	

वादी के उपरोक्त कथन पर निदेशालय से आए प्रतिनिधि से उनका पक्ष पूछा गया। निदेशालय से आए प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि वर्ष 2025 में हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का संविदा समाप्त किया गया था। संविदा समाप्ति के विरुद्ध बड़ी संख्या में अपील आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय स्तर पर अपील आवेदन समर्पित करने हेतु ई-मेल पोर्टल जारी करते हुए समाचार एवं वेबसाइट के माध्यम से अपील आवेदन इसी पोर्टल पर करने का निदेश संविदा कर्मियों को दिया गया। समाचार एवं वेबसाइट के माध्यम से दिए गए निदेश में स्पष्ट था कि ई-मेल पोर्टल पर मात्र हड़ताली कर्मियों द्वारा ही अपील किया जाएगा, परन्तु सुश्री पायल द्वारा भी इसी पोर्टल पर अपील आवेदन किया गया, जिसके आलोक में हड़ताली कर्मियों के साथ सुश्री पायल का भी अपील स्वीकृत हो गया।

हड़ताली कर्मियों पर कोई आरोप नहीं था मात्र हड़ताल में जाने के कारण संविदा समाप्त किया गया था यद्यपि कि सुश्री पायल का संविदा समाप्त इनके नियंत्री पदाधिकारी यथा बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए कतिपय गंभीर आरोपों के आलोक में समाप्त किया गया था। सुश्री पायल द्वारा विभागीय स्थिति का फायदा उठाते हुए इसी पोर्टल पर अपना अपील आवेदन समर्पित किया गया ताकि हड़ताली कर्मियों के साथ इनका भी अपील स्वीकृत कर दिया जाय। अपनी इस मंशा में ये कामयाब भी हो गयी है, जो बंदोबस्त पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा इनके योगदान के संबंध में मांगी गयी अनुशंसा से निदेशालय को ज्ञात हुआ।

चूंकि बंदोबस्त पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोपों/अनुशंसा के आलोक में संविदा समाप्त कर्मियों द्वारा समर्पित अपील आवेदन पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा के पश्चात् आदेश पारित किया जाता है, परन्तु सुश्री पायल पर लगाए गए आरोपों की समीक्षा ही अपीलीय प्राधिकार द्वारा नहीं की जा सकी है।

वादी एवं निदेशालय से आए प्रतिनिधि का कथन सुना गया एवं प्रस्तुत अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह ज्ञात होता है कि यह जानते हुए कि ई-मेल पोर्टल हड़ताली कर्मियों के लिए जारी किया गया था, इसके बावजूद सुश्री पायल द्वारा जानबुझ कर इसी ई-मेल पोर्टल पर अपील आवेदन समर्पित किया गया ताकि प्रतिवेदित आरोपों से अपीलीय प्राधिकार को दिग्भ्रमित किया जा सके। इनका यह कृत्य इनकी मंशा को स्वतः परिलक्षित करता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में वादी का अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए संविदा समाप्ति आदेश संख्या 6154 दिनांक 03.09.2025 को यथावत् रखा जाता है।

इस आदेश के साथ वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है।

सचिव
-सह

अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-05/2026...3692 पटना दिनांक :- 26/10/26

प्रतिलिपि :- सुश्री पायल कुमारी (Emp. ID No.-ASO00094), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी सम्प्रति बंदोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
-सह-

अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-05/2026...3692 पटना दिनांक :- 26/10/26

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
-सह-

अपीलीय प्राधिकार